मध्य प्रदेश शासन

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

क्रमांक एफ ९–८/छः/८७ भोपाल, दिनांक ६ दिसम्बर १९९०

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

वक्फ अधिनियम १९५४ के अन्तर्गत वक्फ संपत्ति की देख रेख एवं सुचारू संचालन के लिये वक्फ बोर्ड द्वारा मुतवल्ली नियुक्त किये जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि मुतवल्ली की नियुक्ति संबंधि वक्फ बोर्ड के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी पुरानी इंतजामिया समीति एवं मुतवल्ली नई समीति को वक्फ का चार्ज देने में जान बूझकर कई अड़चनें उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि वक्फ संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज रहते हुए वे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इसलिये आवश्यक है कि इसके पहले कि कई प्रकार की नई अड़चनें उत्पन्न हों यदि जिलाध्यक्षों की ओर से नई समीतियों को चार्ज दिलाने में नियमानुसार मदद मिल जाती है तो छोटे मोटे विवादों का अन्त स्थानीय तौर पर हो जाता है और वक्फ संपत्तियाँ अनावश्यक कानूनी उलझनों एवं झगड़ों से बच जाती हैं।

उपरोक्त मुद्दों के अलावा वक्फ संपत्तियों का वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाने वाला विभागीय आडिट, जाँच एवं वक्फ संपत्तियों के हित के अनेक आवश्यक मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिये मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को जिलाध्यक्षों से मदद की अपेक्षा रहती है। अतः शासन चाहता है कि वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में जिलाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समुचित मदद तत्काल दी जाये। जिलाध्यक्ष जिलादण्डाधिकारी की हैसियत से आवश्यकतानुसार वक्फ सम्बन्धित प्रत्येक प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखते हुए समुचित कदम उठा सकते हैं ताकि जिले की वक्फ सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने एवं दुर्व्यवस्था फैलाने का कोई साहस न कर सके।

हस्ता.
(आर.व्ही. गुप्ता)
प्रमुख सचिव
धर्मस्व विभाग

पृ.क्र. एफ ९/८/छः/९० भोपाल, दिनाँक ६-१२-१९९०

प्रतिलिपि :–

सचिव, म.प्र. वक्फ बोर्ड, मोती मस्जिद के पास भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सत्य प्रतिलिपि

सचिव
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड
भोपाल

हस्ता.
(ए. के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग